आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
29-11-2023	<u>वाद सं0–62 / 2023</u> अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्रीमती पुष्पा उरांव एवं अन्य, मुन्दो आजिविका महिला ग्राम संगठन, ग्राम–मुन्दो, पो0–इरगांव, प्र0+थाना–लोहरदगा, जिला–लोहरदगा आयोग कार्यालय में उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लोहरदगा आयोग कार्यालय में उपस्थित। शिकायतकर्ता एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी दोनों आयोग में उपस्थित हैं। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लोहरदगा का कहना है कि आयोग के पिछले आदेश के बाद शेष बचा अनाज अब लाभुकों को वितरित कर दिया गया है। उस संदर्भ का प्रमाण जिला आपूर्ति पदाधिकारी आयोग में पेश कर रहे हैं। लेकिन आयोग में उपस्थित शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्हें वर्तमान माह का राशन दिया जा रहा है जबकि बकाया राशन उन्हें नहीं दिया गया है। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश देता है कि वो शिकायतकर्ता के मूल आवेदन में जिन माह में राशन नहीं दिये जाने का उल्लेख है उन माह में सभी शिकायतकर्ता को राशन उपलब्ध करा दिया गया है इस आशय का प्रमाण आयोग को समर्पित करें। आयोग सभी शिकायतकर्ताओं को ये निदेश देता है कि सभी शिकायतकर्ता अपने–अपने राशन कार्ड के साथ आपसी सहमति से निर्धारित दिनांक–06.12.2023 की तिथि को दिन के 12:00 बजे जिला आपूर्ति कार्यालय जायेंगे और जिला आपूर्ति पदाधिकारी उनके राशन कार्ड को देख कर ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि उन्हें किन माह का राशन नहीं मिला है। यदि मूल शिकायतपत्र में जिस अवधि का राशन नहीं दिये जाने की बात कही गई है उन अवधि का राशन यदि सभी शिकायतकर्ता को उपलब्ध करा दिया गया है तो जिला आपूर्ति पदाधिकारी उस आशय का प्रमाण आयोग में पेश करेंगे और यदि अनाज उपलब्ध करा दिये जाने का प्रमाण जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पास उपलब्ध नहीं होगा तो वो सभी शिकायतकर्ता को जिस अवधि का राशन नहीं उपलब्ध कराया गया है उस अवधि का राशन उपलब्ध करायेंगे। सभी शिकायतकर्ता ने यदि आयोग के आज के आदेश का अनुपालन नहीं किया और राशन कार्ड लेकर जिला आपूर्ति पदाधिकारी के कार्यालय नहीं पहुँचे तो आयोग ये मानेगा की शिकायतकर्ता को उस अवधि का राशन मिल चुका है। तदोपरान्त आयोग न्यायोचित निष्कर्ष पर पहुँचने को बाध्य होगा। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–15.12.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–15.12.2023 को रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	
D:\Premlata\Court.docx50		